

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

ए. बी. पी. पीवीटी. लिमिटेड. और एएनआर.

(सिविल अपील सं. 2011 का 986)

12 मई, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग-अनुदान/निकासी/छूट में संशोधन-प्रत्यर्थी की न्यायिक समीक्षा-प्रति घंटा 70,000 प्रतियों की न्यूनतम गति के साथ हाई स्पीड कोल्ड-सेट वेब ऑफसेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन का एक सेट आयात किया गया-पहली अधिसूचना के आधार पर शुल्क के भुगतान से छूट का दावा किया गया, जिसमें 5 प्रतिशत की रियायती दर पर उक्त आयातित मशीनरी पर सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान था-हालांकि, उक्त अधिसूचना को एक नई अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसने रियायती दर के लाभ को उपरोक्त आयातित मशीनरी से हाई स्पीड कोल्ड ऑफसेट वेब ऑफसेट रोटरी डबल विड्थ फोर प्लेट वाइड प्रिंटिंग मशीन में स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें प्रति घंटे 70,000 प्रतियों की न्यूनतम गति थी-दायर की गई रिट याचिका एक बार जब यह मान लिया जाता है कि वर्गीकरण की प्रकृति, लगाए जाने वाले लेवी की सीमा, और छूट देने, अस्वीकार करने या संशोधन करने के लिए प्रासंगिक कारकों को निर्धारित करना कार्यपालिका का अनन्य क्षेत्र है, तो अदालत की भूमिका यह तय करने तक सीमित है कि क्या उसका निर्णय कारणों से समर्थित है, और मामले से अप्रासंगिक नहीं है-न्यायिक जांच का विस्तार वैधता और निर्णय की प्रामाणिकता पर विचार करने तक भी हो सकता है-विवेक या अज्ञानता, और कारणों की दृढ़ता, या उनकी पर्याप्तता, न्यायिक समीक्षा के उचित विषय नहीं हो सकते हैं-वर्तमान मामले में, विवादित निर्णय वस्तुतः संबंधित आर्थिक उपाय की योग्यता की समीक्षा करता है-अभ्यास सहित कार्यपालिका सरकार की प्रत्येक कार्यवाही।

देश के भीतर निर्मित लोगों के समान और ऐसे निर्माताओं या उत्पादकों पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव, स्पष्ट और प्रासंगिक हैं-किसी भी दुर्भावनापूर्ण या तिरछे विचार का अनुरोध या आग्रह नहीं किया गया था-शक्ति का प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया। विवेक नारायण शर्मा (विमुद्रीकरण मामला-5 जे) बनाम भारत संघ [2023] 1 एससीआर 1-इसके बाद। कासिन्का ट्रेडिंग और अन्न बनाम भारत संघ [1994] अनुपूरक 4 एस. सी. आर. 448-पर निर्भर था। एम. आर.

एफ. लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त [2006] अनुपूरक। 6 एससीआर 417; महावीर सब्जी तेल (पी) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य [2006] 2 एस. सी. आर. 1172-प्रतिष्ठित। दार्ड-इची करकरिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।

(2000) 4 एससीसी 57: [2000] 2 एससीआर 1254; एमएम नागलिंगम नादर संस बनाम केरल राज्य (1993) 91 एसटीसी 61; श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 398: [1996] 10 सप्लीमेंट। एससीआर 888; बन्नारी अम्मान शुगर्स लिमिटेड बनाम सीटीओ [2004] 6 सप्लीमेंट। एससीआर 264; प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन बनाम भारत संघ [2019] 9 एससीआर 828; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ [1985] 2 एससीआर 287-संदर्भित। मामला कानून संदर्भ

[1985] 2 एस. सी. आर. 287 पैरा 6 को संदर्भित  
[1994] 4 सप्ली. एस. सी. आर. 448 पैरा 12 पर निर्भर था  
[2000] 2 एस. सी. आर. 1254 पैरा 14 को संदर्भित  
[2006] 6 पूरक। एससीआर 417 विशिष्ट पैरा 14  
[1996] 10 सप्ली. एस. सी. आर. 888 \_ \_ पैरा 15 को संदर्भित  
[2004] 6 सप्ली. पैरा 15 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 264  
[2006] 2 एससीआर 1172 प्रतिष्ठित पैरा 25  
[2019] 9 एस. सी. आर. 828 पैरा 26 को संदर्भित  
[2023] 1 एससीआर 1 ने पैरा 28 का अनुसरण किया

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील संख्या 986  
2011 में।

2007 के ए. पी. ओ. टी. सं. 433 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 23.12.2008 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से एन. वेंकटरमन, एसजी, अरिजीत प्रसाद, सीनियर एड., मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री बी. सुनीता राव, अदित खुराना, वंशजा शुक्ला, संतोष कुमार, सुश्री प्रीति रानी, रूपेश कुमार, गुनमाया मान, चंद्रशेखर भारती, आई. प्रसाद, धर्म दत्ता वर्मा, एड. राघव शंकर, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री सोनिया निगम, करणवीर सिंह आनंद, यशवंत गग्गर, मेसर्स। करंजावाला एंड कंपनी, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता। न्यायालय का निर्णय दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. यह दीवानी अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न होती है! न्यायालय जिसने सीमा शुल्क अधिसूचना को वापस लेने को अमान्य ठहराया।

आई.

2. अक्टूबर 2003 में एबीपी प्राइवेट लिमिटेड (निर्धारिती/प्रतिवादी), आयातित आवश्यक पुर्जों और सहायक उपकरणों के साथ हाई स्पीड कोल्ड सेट (यूनिवर्सल 70) वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का एक सेट और 28 मई, 2003 की अधिसूचना (इसके बाद, "प्रथम अधिसूचना") के आधार पर शुल्क के भुगतान से छूट का दावा किया। पहली अधिसूचना में 5 प्रतिशत की रियायती दर पर 70,000 प्रतियां प्रति घंटे (इसके बाद "आयातित मशीन") की न्यूनतम गति के साथ हाई स्पीड कोल्ड-सेट वेब ऑफसेट रोटरी प्रिंटिंग मशीनों के आयात पर सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। पहली अधिसूचना के आधार पर, निर्धारिती ने आयातित मशीन की खरीद के लिए एक अपरिवर्तनीय ऋण पत्र जारी किया। इस पहली अधिसूचना को बाद में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2003 \* (इसके बाद, "संशोधित अधिसूचना") की एक नई अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था। संशोधित अधिसूचना ने रियायती दर के लाभ को "70,000 प्रतियां प्रति घंटे की न्यूनतम गति के साथ हाई स्पीड कोल्ड-सेट वेब ऑफसेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन" से "हाई स्पीड कोल्ड-सेट वेब ऑफसेट रोटरी डबल 70,000 प्रतियां प्रति घंटे" में स्थानांतरित कर दिया।

3. 09.02.2004 पर, निर्धारिती ने एक प्रविष्टि पत्र दाखिल किया जिसमें दावा किया गया था कि 5 प्रतिशत रियायत का लाभ (पहली अधिसूचना के तहत)। तथापि, संशोधित अधिसूचना के कारण, निर्धारिती रिट याचिका संख्या 298/2004 में दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के लिए अपात्र था। 2003 की अधिसूचना संख्या 86 (सीयूएस) वर्गीकरण 844 311 00। 3 दिनांक 18 अक्टूबर, 2003 2003 की अधिसूचना संख्या 164



पहली अधिसूचना के तहत पहले प्राप्त रियायत का लाभ, और आयातित मशीन के मूल्य पर ₹ 1,92,54,318 पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। निर्धारिती ने संशोधित अधिसूचना को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (इसके बाद, "अधिनियम") की धारा 25 (1) के अधिकार से बाहर घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दायर की और इस प्रकार संशोधित अधिसूचना को वापस लेने के लिए एक घोषणा की मांग की। 18.03.2004 पर, एक एकल न्यायाधीश ने एक अंतरिम आदेश \* दिया जिसमें = 1,67,98,410 की अंतर राशि के लिए बैंक गारंटी के खिलाफ शुल्क की रियायती दर के भुगतान पर अस्थायी रूप से आयातित मशीनरी को जारी करने का निर्देश दिया गया।

#### 4. 5 दिसंबर, 2005 को एक एकल न्यायाधीश पीठ ने

इस आधार पर संशोधित अधिसूचना कि एक प्रकार की मशीनरी पर रियायत देने और अन्य प्रकार की मशीनरी को रियायत वापस लेने के लिए कोई बोधगम्य अंतर मौजूद नहीं था। इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि करदाता की आयातित मशीनरी को छूट दी जाए। एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश से व्यथित होकर संघ ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील की। संघ ने तर्क दिया कि छूट देने की उसकी शक्ति में पहले से दी गई किसी भी छूट को संशोधित या परिवर्तित करने की शक्ति भी शामिल है और यह प्रत्यायोजन विधायिका की शक्तियों के भीतर है। संघ ने डिवीजन बेंच के समक्ष आगे तर्क दिया कि विषय वस्तु में आर्थिक नीति शामिल है जिस पर विधायिका का अनन्य अधिकार क्षेत्र है।

#### 5. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले से फैसले को बरकरार रखा

और एकल न्यायाधीश पीठ का आदेश। उच्च न्यायालय ने कहा कि आयातित मशीन का न तो संबंधित समय पर देश के किसी भी हिस्से में निर्माण किया गया था और न ही आयातित मशीन को दी गई छूट पर सवाल उठाने वाले घरेलू निर्माताओं से प्राप्त अभ्यावेदन की कोई प्रति राजस्व द्वारा दिखाई गई थी। एफ 6. उच्च न्यायालय ने संघ के हलफनामे पर भरोसा किया जहां यह तर्क दिया गया था कि आयातित मशीन का कोई स्वदेशी कोण नहीं है। उच्च न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ (इसके बाद, "इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र") में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत सरकार जी की कार्यवाही न्यायिक जांच से मुक्त नहीं है और शक्ति का उचित रूप से और "सार्वजनिक हित" को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। 5 रिट याचिका संख्या 298/2004 [ आदेश दिनांक 18.03.2004 डब्ल्यूपी नंबर 298/2004 7 के बीच किसी भी बोधगम्य अंतर के अभाव में आदेश दिनांक 5 दिसंबर, 2005 को डब्ल्यूपी नंबर 298/2004 में

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

आयातित मशीन और नई छूट प्राप्त मशीन (क्योंकि दोनों में उत्पादन की समान क्षमता है और उनमें से कोई भी देश में निर्मित नहीं था), 'जनहित' को आगे बढ़ाने में छूट का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

7. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि निर्धारिती का अधिकार है संशोधित अधिसूचना द्वारा मांगे गए उच्च टैरिफ के बजाय आयातित वस्तुओं पर भुगतान की गई सीमा शुल्क की रियायती दर के लाभ का दावा करें। संघ इस विवादित आदेश से व्यथित है और उसने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

आई.

8. श्री एन. वेंकटरमन, के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संघ (इसके बाद, "एसजी") ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार की मौलिक शक्तियों को चुनौती देता है, जिसका भविष्य में उनके शक्ति के प्रयोग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एसजी ने आगे कहा कि निर्धारिती किसी वस्तु के संबंध में रियायती/छूटों का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है क्योंकि यह सरकार के नीतिगत क्षेत्र में आता है।

9. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि दी गई वस्तुएँ संशोधित अधिसूचना के तहत छूट देश में औद्योगिक क्षेत्र की तकनीकी प्रगति और आधुनिकीकरण से संबंधित है और इस प्रकार "सार्वजनिक हित" का तत्व संशोधित अधिसूचना में निहित है।

10. विद्वान एसजी ने भी धारा 21 पर निर्भरता रखी सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना जारी करने की संघ की शक्ति में इसे वापस लेने की शक्ति शामिल है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 इस प्रकार है:

"21. जारी करने की शक्ति, इसमें जोड़ने की शक्ति, संशोधन, परिवर्तन करने की शक्ति शामिल करने की शक्ति जहां, किसी (केन्द्रीय अधिनियम) या विनियम द्वारा, (अधिसूचना जारी करने) आदेशों, नियमों या उपनियमों की शक्ति प्रदान की जाती है, वहां उस शक्ति में ऐसी शक्ति शामिल है, जो समान तरीके से प्रयोग की जा सकती है और समान मंजूरी और शर्त (यदि कोई हो) के अधीन, किसी (अधिसूचनाओं), आदेशों, नियमों या उपनियमों को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या रद्द करने के लिए (जारी)।

11. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि इसमें योग्यता मौजूद है एकल चौड़ाई वाली दो प्लेट मशीनों को छूट से बाहर रखा गया क्योंकि उनका निर्माण देश में किया गया था। इस तरह को बाहर करने का तर्क था



रियायतों के दायरे से मशीनें। इसके अलावा, दी गई रियायत 70,000 प्रतियों प्रति घंटे की न्यूनतम गति के साथ कोल्ड-सेट वेब ऑफसेट रोटरी डबल विड्थ फोर प्लेट वाइड प्रिंटिंग मशीनों के लिए थी। इस प्रकार, स्वदेशी कोण और उपकरण के घरेलू निर्माताओं से प्राप्त अभ्यावेदन (यानी 50000 प्रतियां प्रति घंटे की गति के साथ एकल चौड़ाई दो प्लेट मशीनें) को ध्यान में रखते हुए, ऐसी एकल चौड़ाई दो प्लेट मशीनों को रियायतों के दायरे से बाहर करना आवश्यक था।

बीमार है।

12. श्री कौशिक मुरली, निर्धारिती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संघ अधिनियम की धारा 25 (1) के अधीन जारी प्रथम अधिसूचना को बिना किसी औचित्य के वापस नहीं ले सकता था या उसमें संशोधन नहीं कर सकता था। तर्क का समर्थन करने के लिए, वकील ने कासिका ट्रेडिंग एंड अन्न में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। v. भारत संघ '(इसके बाद, 'कासिका') और आग्रह किया कि हालांकि संघ के पास अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत दी गई छूट अधिसूचना में संशोधन या वापसी करने की शक्ति है, फिर भी छूट अधिसूचना को वापस लेने को उचित ठहराने के लिए राजस्व द्वारा दिए गए कारण 'जनहित' में शक्ति के प्रयोग के लिए प्रासंगिक 'और' पर्याप्त होने चाहिए। कासिका (सुप्रा) में, इस अदालत ने कहा था कि:

"[.] इस प्रकार, भारत संघ ने परिस्थितियों का खुलासा किया है जिसके तहत छूट शुरू में दी गई थी और साथ ही उन परिस्थितियों में बदलाव किया गया था जो छूट अधिसूचना को वापस लेने की गारंटी देते थे। छूट अधिसूचना को वापस लेने को उचित ठहराते हुए भारत संघ द्वारा दिए गए कारण, हमारी राय में, "जनहित" में शक्ति के प्रयोग के लिए अप्रासंगिक नहीं है, और न ही उन्हें उस शक्ति के प्रयोग का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त दिखाया गया है।

13. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि की शक्ति अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत छूट देने या संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार अप्रतिबंधित नहीं है और सरकार सार्वजनिक हित के आलोक में इस मुद्दे की जांच करने के लिए बाध्य है। रिलायंस को इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले पर यह तर्क देने के लिए रखा गया था कि अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत सीमा शुल्क के भुगतान से छूट देने की शक्ति को प्रत्यायोजित शक्ति नहीं है, बल्कि अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्ति है और इस प्रकार प्रशासनिक कानून के सिद्धांत लागू होंगे।

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

**14. निर्धारिती के विद्वान वकील ने भी दाई पर निर्भरता रखी -**

आई. सी. एच. आई. करकरिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (इसके बाद, "आई-आई. सी. एच. करकरिया") "और एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त (इसके बाद, "एम. आर. एफ. लिमिटेड")" यह तर्क देने के लिए कि वर्तमान मामले में, पहली अधिसूचना में संशोधन करते समय, सरकार अदालत के समक्ष यह स्थापित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रही कि 'लोक हित' क्या था जिसके कारण सरकार को छूट की सीमा को कम करने की आवश्यकता थी और पहली अधिसूचना की वापसी/संशोधन "लोक हित" को आगे बढ़ाने में कैसे है। वर्तमान मामले में, संघ दोहरी चौड़ाई वाली चार प्लेट किस्म की रोटरी प्रिंटिंग मशीनों के लिए शुल्क की रियायती दर को सीमित करने और दोनों मशीनों की न्यूनतम गति 70,000 प्रतियों प्रति घंटे होने के बावजूद एकल चौड़ाई वाली दो प्लेट किस्म की रोटरी प्रिंटिंग मशीनों के लिए शुल्क की रियायती दर का विस्तार नहीं करने में "सार्वजनिक हित" को सही ठहराने में विफल रहा। आगे यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं द्वारा आयातित मशीन न तो भारत में निर्मित थी और न ही बेची गई थी। इसके अलावा, अपीलार्थी का यह तर्क कि संशोधित अधिसूचना कई घरेलू निर्माताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के कारण थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आयातित मशीन विदेश से खरीदी गई थी और इसे न तो किसी घरेलू निर्माता द्वारा निर्मित किया गया था और न ही बेचा गया था।

**15. विद्वान वकील ने श्रीजी सेल्स पर भी भरोसा जताया**

निगम बनाम भारत संघ और बन्नारी अस्मान शुगर्स लिमिटेड बनाम सी. टी. ओ. का यह तर्क देना कि प्रोमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत सरकार के खिलाफ लागू होता है और हालांकि सरकार को भी अपने वादे से पीछे हटने का अधिकार है, लेकिन उसे वादा करने वाले को पूर्व की स्थिति को बहाल करने के लिए एक उचित अवसर देना चाहिए। वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने संशोधित अधिसूचना के अधिनियमन से पहले एक फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ता को अपरिवर्तनीय ऋण पत्र के माध्यम से अग्रिम भुगतान किया था और संशोधित अधिसूचना के जारी होने के परिणामस्वरूप बड़ी हुई सीमा शुल्क लागू होने से निर्धारिती के लिए ऋण पत्र को रद्द करना और यथास्थिति बहाल करना असंभव हो गया है।

**IV**

**16. पक्षों की दलीलों के गुण-दोष के साथ आगे बढ़ने से पहले,**

यह ध्यान देने योग्य होगा कि 25.03.2004 पर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई ने

□ [(2000) 4 एससीसी 57]

"1 (2006) सप्लीमेंट 6 एससीआर 417

2 [(1997) 3 एस. सी. सी. 398]

8 (2004) सप्लीमेंट 6 एससीआर 264



1122 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

ए ने कर छूट को वापस लेने को उचित ठहराते हुए एक पत्र जारी किया। उस पत्र का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है: "यह संशोधन प्रिंटिंग मशीनों के घरेलू निर्माताओं के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए किया गया था जिसमें

उक्त रियायत पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। ख इरादा शून्य सीवीडी और शून्य एसएडी के साथ 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क को केवल उन उच्च गति वाली कोल्ड-ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों तक सीमित करना था, जिनका कोई स्वदेशी कोण नहीं है। "संघ द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष (पूरक हलफनामे के रूप में) दायर किए गए जवाब या रिटर्न में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया है: "मैं आगे कहता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ कि छूट देने की शक्ति का उपयोग तत्काल मामले में लोक हित में विनियमन, नियंत्रण और संवर्धन के उद्देश्य से किया गया था। यह स्पष्ट है कि जनता के सामने कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था कि पहली अधिसूचना अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। प्रत्यर्थी अधिकारियों की कर अनुसंधान इकाई ने प्रासंगिक तथ्यों और बाजार की स्थितियों पर विचार किया और यह संतुष्ट होने पर कि पहली अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता है,

दूसरी अधिसूचना जारी की गई, जिसमें माल के विवरण में संशोधन किया गया, जिसके संबंध में छूट को राजकोषीय नीति के मामले के रूप में संभावित रूप से अनुमति दी जानी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर अनुसंधान ई इकाई ने छूट देने के मामले में प्राथमिकताओं का विधिवत मूल्यांकन किया और तदनुसार दूसरी अधिसूचना जारी की गई। सीरियल नं. अधिसूचना no.21/2002-customs के 267a को संशोधित किया गया था अधिसूचना no.164/2002-customs को अधिसूचना no.164/2003-सीमा शुल्क दिनांक 11 नवंबर, 2003 के माध्यम से संशोधित किया गया था ताकि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध सीमा शुल्क रियायत का लाभ सीमित किया जा सके: निर्दिष्ट मुद्रण मशीनरी केवल 'हाई स्पीड कोल्ड सेट वेब ऑफसेट रोटरी डबल चौड़ाई चार प्लेट मुद्रण मशीनों के लिए न्यूनतम गति 70,000 प्रतियां प्रति घंटा'। यह संशोधन राजकोषीय नीति के रूप में किया गया था, जिसमें मुद्रण मशीनों के जी घरेलू निर्माताओं के कई अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए पहले की रियायत पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। नीति के रूप में इरादा शून्य सीवीडी और शून्य एसएडी के साथ 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क को केवल उन हाई-स्पीड कोल्ड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों तक सीमित करना था, जिनमें कोई स्वदेशी कोण नहीं है। इससे पहले की अधिसूचना में, विशेष रूप से, कोई स्पष्ट वादा नहीं किया गया था कि इसे जारी रखा जाएगा



[एस. रवींद्र भाट, जे.]

अनिश्चित काल के लिए। इसलिए, राजकोषीय परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पहले की अधिसूचना में संशोधन किया गया था, जिसमें विवरण में परिवर्तन की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में लाभ प्रदान किया जाना था। पहले और बाद की अधिसूचना द्वारा कवर की गई मशीनरी के विवरण से संबंधित परिस्थितियों का आकलन करने के बाद जनहित में परिवर्तन किया गया था।

**17. संघ ने एक कार्यालय जापन \* पर भरोसा करने की मांग की है**

जो वस्तुतः उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में लिए गए रुख को दोहराता है; इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को भारतीय मुद्रण और पैकेजिंग और संबद्ध मशीनरी निर्माता संघ (आईपीपीएएमएमए) से पहली अधिसूचना के तहत छूट पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था क्योंकि घरेलू उद्योग में प्रति घंटे 60,000 प्रतियों तक की क्षमता के साथ मशीनों और हीट सेट मशीनों का उत्पादन करने की क्षमता थी। प्रतिनिधित्व ने यह भी अनुरोध किया कि ऐसी स्वदेशी क्षमता को देखते हुए, एकल चौड़ाई दो प्लेट चौड़ी मशीनों को रियायती शुल्क नहीं दिया जाना चाहिए, और इसे चार प्लेट चौड़ी दोहरी चौड़ाई उच्च गति ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

**18. निर्धारिती ने सुनवाई के दौरान निर्भरता का विरोध किया था**

अतिरिक्त शपथपत्र और, विशेष रूप से, कार्यालय जापन, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि इनमें निर्णय के बाद दिए गए कारण हैं, और संशोधित अधिसूचना को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकता है।

**19. संघ द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए कारणों पर विचार किया गया**

विवादित आदेश में, जो संशोधित अधिसूचना के लिए तर्क को स्वारिज करता है: "जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यह सार्वजनिक हित का तत्व है जो क्षेत्र को नियंत्रित करता है। रियायत को वापस लेने का आधार,

जैसे कि प्रिंटिंग मशीनों के घरेलू निर्माताओं के कई अभ्यावेदनों ने रियायत को वापस लेने के लिए प्रेरित किया, ऐसा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि भारतीय उत्पादों की क्षमता न तो 60,000 प्रतियों प्रति घंटे से अधिक है और न ही आयातित विदेशी मशीन के रूप में मुद्रण गुणवत्ता के स्वचालन का तुलनीय लेबल है। यह नहीं कहा जा सकता है कि रियायत को वापस लेना स्वदेशी निर्माताओं की सुविधा के लिए था। इसलिए छूट को वापस लेने के लिए स्वदेशी दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं था और यह भारत सरकार के राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2010 को जारी किया गया था

लोक हित का स्थिति तत्व जो अनुदान के अनुदान या वापसी के मामले में शासित होना चाहिए, खो जाता है। दोनों प्रकार की मशीनों के बीच शायद ही कोई अंतर रह सकता था क्योंकि दोनों में एक ही तकनीक थी। दोनों प्रकार की मशीनों के बीच कोई उचित अंतर नहीं किया जा सका क्योंकि दोनों मशीनों में उत्पादन की समान क्षमता है और दोनों को आयात किया जाना था और देश में निर्मित नहीं किया गया था। इसलिए, हमारे विचार से, माननीय विचारण न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई अवैधता नहीं की कि छूट को वापस लेने में लोक हित के तत्व को नहीं माना जा सकता है।

20. इस न्यायालय की राय में निर्धारिती का दावा सही है कि कार्यकारी सरकार की प्रत्येक कार्यवाही, जिसमें कर छूट देने या वापस लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग शामिल है, सार्वजनिक हित में होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (सुप्रा) में, इस अदालत ने सीमा शुल्क वापसी अधिसूचना (अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई) के संदर्भ में बोलते हुए कहा कि:

"18. ऐसे मामलों में जहां सरकार में निहित शक्ति एक है जिस शक्ति का प्रयोग लोकहित में किया जाना है, जैसा कि यहां होता है, न्यायालय सरकार से संविधान की भावना के अनुसार उचित तरीके से उस शक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा कर सकता है। यह तथ्य कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के तहत जारी अधिसूचना को उसकी धारा 159 के तहत संसद के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है, इसकी वैधता पर निर्णय देने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं करता है।

"19. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25, जिसके अधीन अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं जो केंद्र सरकार को जनहित के आलोक में पूरे मुद्दे की जांच करने के कर्तव्य के साथ एक शक्ति प्रदान करती हैं। इसमें यह प्रावधान है कि यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है तो वह आम तौर पर या तो पूरी तरह से या ऐसी शर्तों के अधीन किसी भी विवरण के सामान को पूरे या उस पर देय सीमा शुल्क के किसी भी हिस्से से छूट दे सकती है। यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करने के लिए असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है -



[एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऐसे आदेश में ऐसी कोई वस्तु बताई जाएगी जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति निस्संदेह विवेकाधीन है, लेकिन यह अप्रतिबद्धित नहीं है।

21. हालांकि, अदालत ने वापसी को रद्द नहीं किया

अधिसूचना, लेकिन दर्ज किया कि सरकार समाचार पत्र प्रकाशकों पर वापसी के प्रभाव पर विचार करने में विफल रही, और यह कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभ्यास को प्रभावित करेगा। इसलिए, अदालत ने सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद कार्यपालिका से मामले की समीक्षा करने की अपेक्षा की। दार्ड-इची करकरिया (ऊपर) में, एक सीमा शुल्क अधिसूचना, जिसने एक विशेष अवधि के लिए छूट को 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था (30-12-1986 से 10-9-1987), को अनुचित ठहराया गया था क्योंकि कार्यपालिका ने "उपरोक्त अवधि के लिए छूट को घटाकर 25 प्रतिशत करते हुए विवादित अधिसूचना जारी करते समय सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा था" और "विवादित अधिसूचना जारी करते समय अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही थी। कम से कम कहने के लिए, दिए गए औचित्य स्वीकार किए जाने के लिए बहुत सरल हैं। "

22. कासिका (ऊपर) में, अदालत ने फिर से शक्ति का वर्णन किया

अधिनियम की धारा 25, और छूट के अनुदान या वापसी के प्रयोग की वैधता और यह कहा गया है:

"[.] "सार्वजनिक हित में "छूट की वापसी एक है

नीति का मामला और अदालतें आने वाले समय के लिए अपने नीतिगत निर्णयों के लिए सरकार को बाध्य नहीं करेंगी, भले ही सरकार को इस बात का संतोष हो कि "जनहित" में नीति में बदलाव आवश्यक था। अदालतें राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, जहां सरकार "सार्वजनिक हित" में काम करती है और न तो किसी धोखाधड़ी या ईमानदारी की कमी का आरोप लगाया जाता है। सरकार को वित्त के उपयोग के मामले में प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत छूट अधिसूचना जारी करने या संशोधित करने या वापस लेने के दौरान जनहित में कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहना होगा। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत छूट की शक्ति सरकार को विधायिका द्वारा देश में उद्योगों और औद्योगिक उत्पादनों को विनियमित करने, नियंत्रित करने और बढ़ावा देने में सक्षम बनाने की दृष्टि से दी गई है। जहां सरकार अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रामाणिक रूप से संतुष्ट है कि "लोक हित" की पूर्ति या तो छूट देने से या छूट को वापस लेने, संशोधित करने या रद्द करने से होगी।

पहले से दी गई छूट, इसे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हाथ की अनुमति दी जानी चाहिए। हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि 1979 की अधिसूचना संख्या 66 को 31-3-1981 से पहले वापस नहीं लिया जा सकता था। पहला, क्योंकि छूट अधिसूचना अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत जारी की गई थी, इसमें यह निहित था कि यदि लोक हित की मांग होती है तो इसे किसी भी समय रद्द या संशोधित किया जा सकता है और दूसरा, यदि सरकार उस तारीख से पहले की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में संतुष्ट है, तो "लोक हित" की मजबूरियों को 31-3-1981 के बाद तक स्थगित करने की अनुमति नहीं है। चूंकि तत्काल मामले में सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि जिस जनहित में सीमा शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट की मांग की गई थी, अब मांग की गई है कि छूट को वापस लिया जाना चाहिए, वह अपने तरीके से कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। यह नोटिस दिया जाएगा कि हालांकि 1979 की अधिसूचना संख्या 66 शुरू में केवल आईडी1 तक मान्य थी, लेकिन उस तारीख को "जनहित" में बढ़ाया गया था, हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इसे जनहित में क्यों नहीं घटाया जा सकता है। व्यक्तिगत हित सामाजिक हित के पक्ष में होना चाहिए।

23. बन्नारी अम्मान शुगर्स लिमिटेड (ऊपर) में, अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि टैक्स-होल्डिंग के बारे में कोई निहित अधिकार उस व्यक्ति द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है जिसे रियायत दी जाती है। यदि कोई रियायत दी गई है तो उसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और इसे वापस लेने से पहले किसी समय-सीमा पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इस अदालत ने यह भी कहा कि प्रोमिसरी एस्टोपेल को "केवल तभी लागू किया जा सकता है जब सरकार द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर, छूट का लाभ उठाने के लिए उद्योग की स्थापना की गई हो।"

24. निर्धारिती द्वारा इस मामले में एम. आर. एफ. लिमिटेड (उपर्युक्त) पर निर्भरता अदालत की राय निराधार है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक संशोधन के माध्यम से छूट से इनकार, पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी, मनमाना था और एम. एम. नागलिंगम नादर संस बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत था, जिसमें यह कहा गया था कि:

"[.] सरकार के पास कर लगाने की भी कोई शक्ति नहीं है पूर्वव्यापी प्रभाव। किसी छूट को पूर्वव्यापी रूप से रद्द करना/वापस लेना या दर में कमी करना अतीत में किसी तिथि से उच्च दर पर कर लगाने के समान है।



[एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिसे सरकार के पास उपधारा (3) के अधीन कोई शक्ति नहीं है।

एलजे "

**25. महाबीर सब्जी तेल (पी) लिमिटेड बनाम राज्य**

हरियाणा एम. आर. एफ. लिमिटेड (उपर्युक्त) की तर्ज पर है, जो कि एक बार दिए गए लाभों को पूर्वव्यापी कानून या अधिसूचना द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस अदालत की राय में ये निर्णय एक अलग आधार पर खड़े हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से वैधानिक शक्ति के प्रयोग से संबंधित हैं, यानी वापसी, इस तरह से जिसका बेहद पूर्वाग्रहपूर्ण या अनुचित प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव में पूर्वव्यापी है।

**26. जहाँ तक प्रोमिसरी एस्टोपल का सवाल है, ए**

प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में इस अदालत के हालिया फैसले ने मामले को सही परिप्रेक्ष्य में रखा, जब उसने कहा कि:

"26. [.] प्रोमिसरी एस्टोपल की याचिका एक के लिए उपलब्ध नहीं है

निर्धारिती विधायी शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध है और न ही उसे कोई कर रियायत देने के मामले में किसी निर्धारिती को कोई निहित अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, न तो अपीलार्थी और न ही निर्धारिती को विधायी शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध, जैसे कि अधिनियम की धारा 35-कग में उपधारा (7) अंतःस्थापित करते समय प्रयोग की गई शक्ति (मोतीलाल पदमपत चीनी मिल कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1979) 2 एस. सी. सी. 409 देखें) और प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वत वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य मामलों के विरुद्ध वचन-निरसन याचिका स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह तब अधिक होता है जब हम पाते हैं कि इस उप-धारा को सभी के लिए समान रूप से लागू किया गया था, अपीलार्थी संभावित रूप से।

**27. वर्तमान मामले में, प्रमुख, या बल्कि एकमात्र आधार**

जिसने उच्च न्यायालय को संशोधित अधिसूचना को दरकिनार करने के लिए राजी किया, वह यह है कि रियायत को वापस लेने को स्वदेशी निर्माताओं की सुविधा के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह भी माना गया था कि "स्वदेशी कोण इसलिए छूट को वापस लेने के लिए नहीं था" और इसलिए, "सार्वजनिक हित जो अनुदान देने या वापस लेने के मामले में नियंत्रित होना चाहिए, खो गया है।" तीसरा आधार यह था कि "दो प्रकार की मशीनों के बीच कोई अंतर नहीं था क्योंकि दोनों में एक ही तकनीक थी।"

ए. 28. एक बार जब यह मान्यता मिल जाती है कि यह कार्यपालिका का अनन्य क्षेत्र है, राजकोषीय और आर्थिक मामलों में वर्गीकरण की प्रकृति, अधिरोपित किए जाने वाले लेवी की सीमा और छूट देने, अस्वीकार करने या संशोधन करने के लिए प्रासंगिक कारकों को निर्धारित करने के लिए न्यायालय की भूमिका यह तय करने तक सीमित है कि क्या उसका निर्णय कारणों से समर्थित है, और मामले के लिए अप्रासंगिक नहीं है। न्यायिक जांच का विस्तार निर्णय की वैधता और प्रामाणिकता पर विचार करने तक भी हो सकता है। विवेक या अज्ञानता, और कारणों की दृढ़ता, या उनकी पर्याप्तता, न्यायिक समीक्षा के उचित विषय नहीं हो सकते हैं। वर्तमान मामले में, आक्षेपित निर्णय ने वस्तुतः संबंधित आर्थिक उपाय (विवेक नारायण शर्मा (विमुद्रीकरण मामला-5 जे) बनाम भारत संघ \*) की गुण समीक्षा की है:

"13.4. [...] कि अदालत में एक प्रवेश नहीं कर सकता है किसी आर्थिक नीति के गुण, दोष, पर्याप्तता या कमी, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता आदि, क्योंकि इस तरह का विश्लेषण क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से सरकार का विशेषाधिकार है।

29. इस अदालत की राय है, कि उच्च न्यायालय, आक्षेप द्वारा निर्णय, उन कारणों के गुणागुण का न्याय करने में त्रुटि जिसके कारण कार्यकारी सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी की। कोई दुर्भावना या तिरछे विचारों का अनुरोध या आग्रह नहीं किया गया था; शक्ति का प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था। स्वदेशी दृष्टिकोण, अर्थात् उपकरणों की उपलब्धता, को एक अप्रासंगिक कारक या विचार के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वस्तुओं के एक वर्ग को छूट प्रदान करना, जो देश के भीतर निर्मित वस्तुओं के समान हैं, और ऐसे निर्माताओं या उत्पादकों पर इसका संभावित प्रतिकूल प्रभाव है।

30. उपर्युक्त कारणों से, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है; इसे तदनुसार अलग रखा जाता है। लागत पर आदेश के बिना अपील की अनुमति है। दिव्या पांडे की अपील मंजूर कर ली गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)